नये डाकघर खोलने के लिये मापदंड

1773. डा० अख्तर अहमद खान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) एक नया पोस्ट आफिस खोलने के क्या मापदण्ड हैं ; राजस्थान में किस-किस श्रेणी के कितने पोस्ट आफिस हैं ; क्या राजस्थान के कुछ कस्बों एवं शहरों में कोरियर सेवा के अधिक विकसित हो जाने से कुछ पोस्ट आफिस बन्द भी करने पड़े हैं ; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ख) गत एक वर्ष में कितने पोस्ट आफिस राज्य में खोले गये तथा कहां-कहां तथा कितने बन्द किये और कहां-कहां तथा उसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राज्य की डाक-वितरण व्यवस्था में गत कुछ महीनों से काफी गिरावट आई है ; यदि हां, तो उसके पुनः शीघ्र वितरण एवं पहुंच के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ; क्या डाक वितरण व्यवस्था की शिथिलता एवं अव्यवस्था के लिये कोई कर्मचारी, अधिकारी दोषी पाया गया है ; यदि हां, तो उसका नाम क्या है तथा उसे क्या सजा दी गयी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुबंध में दिए गए हैं । 31-5-90 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में 9765 डाकघर थे । इनका श्रेणीवार खुलासा इस प्रकार है :—

	शहरी	ग्रामीण	कुल
(i) प्रधान डाकघर . .	53	2	55
(ii) विभागीय उपडाकघर . .	702	658	1360
(iii) अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर .	26	82	108
(iv) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर .	35	8207	8242
	816	8949	9765

कुरियर सेवाओं के कारण कोई भी डाकघर बन्द नहीं किया गया है।

(ख) 1-7-1989 से 30-6-90 के दौरान राजस्थान में 49 नये डाकघर खोले गए । इनके स्थानों की जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी । इस अवधि के दौरान 3 डाकघर बन्द किए गए । इनके नाम और बन्द होने के कारण नीचे दिए गए हैं :—

1. एस एम एस अस्पताल जयपुर .	अदालत के फैसले के अनुसरण में स्थान खाली करने के कारण ।
2. गलियाकोट कालोनी, जिला डूंगरपुर	सागवाड़ा डाकघर को विभागीय भवन में शिफ्ट करने के कारण इसे इस स्थान पर रखने का कोई औचित्य नहीं था ।
3. गोगा गेट बीकानेर	औचित्य नहीं होने के कारण।

(ग) सामान्यतः ऐसी कोई खास गिरावट नहीं आयी है। तथापि, किसी विशेष डाकघर अथवा क्षेत्र का कोई कर्मचारी/अधिकारी जिसे डाक वितरण में शिथिलता/अव्यवस्था के कारण दण्डित किया गया हो, के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

नये डाकघर खोलने के लिये मानदंड

I. ग्रामीण शाखा डाकघर (योजना) :

(1) एक ग्राम पंचायत वाला एक ग्राम समूह एक डाकघर के लिए पात्र है बशर्ते कि (क) ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम समूहों की कुल जनसंख्या सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 तथा पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 1500 से कम न हो एवं (ख) उस ग्राम समूह में कोई डाकघर न हो।

(2) डाकघर सामान्यतः ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में खोला जाएगा। यदि ऐसा ग्राम मौजूदा डाकघर से 3 कि०मी० के भीतर आता हो, तो उसी ग्राम पंचायत के किसी अन्य उपयुक्त ग्राम में डाकघर खोला जा सकता है जो दूरी की शर्त पूरी करता हो।

(3) पहाड़ी क्षेत्रों में 3 कि०मी० की पाबंदी पर विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत छूट दी जा सकेगी।

(4) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का $3\frac{1}{3}\%$ होगा तथा पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में यह लागत का 15 प्रतिशत होगा।

2. पहाड़ी, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया जाएगा।

पहाड़ी क्षेत्र

(1) विशेष श्रेणीबद्ध क्षेत्र अर्थात् हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम।

(2) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के बतौर निश्चित किए गए अन्य राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के जिले/ब्लॉक/तालुके।

जनजातीय क्षेत्र :

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिनमें कुल जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, नागालैंड और मिजोरम।

(2) जनजातीय विकास कार्यक्रम के बतौर अभिनिर्धारित अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जिले/ब्लाक/सब डिवीजन/तहसील/ग्राम।

(3) **पिछड़े क्षेत्र** : सातवीं योजना के अधीन पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित क्षेत्र (ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र)।

पदों के सृजन पर लगातार पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए नए शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव छूट देने के लिए डाक विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

II. विभागीय उप डाकघर (योजना)

नवम्बर 1987 से निम्नलिखित शर्तों पर योजना स्कीम के अंतर्गत विभागीय उप डाकघर भी मंजूर किए जाते हैं :

(1) इस स्कीम के अधीन नगरों/शहरों के आस पास विकसित प्रयोजन क्षेत्रों, नई औद्योगिक एस्टेटों/बस्तियों/उपग्रह कालोनियों में खोले जाने वाले विभागीय

उपडाकघर और राज्य तथा केंद्र सरकार के विभागों और एजेंसियों की योजना गतिविधियों के अनुसरण में नए क्षेत्रों में हुई इसी प्रकार की गतिविधियां शामिल है । दूसरे शब्दों में डाक सेक्टर योजना की संकल्पना को बढ़ाया जाना है ताकि समग्र राष्ट्रीय योजना के लिए जरूरी डाक अवसंरचना शामिल की जा सके ।

(2) प्रस्तावित उप डाकघर में न्यूनतम प्रत्याशित कार्यभार 5 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए ।

(3) जबकि विभागीय उप डाकघरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लिए वित्त की स्वयं व्यवस्था करें, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 2400/- रु0 का घाटा अनुमत्य है (पहाड़ी/पिछड़े/जन-जातीय क्षेत्रों में 4800/- रु0 का घाटा अनुमत्य है ।)

III. **विभागीय उप डाकघर (गैर-योजना)**

शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित शर्तों पर डाकघर खोले जाते हैं :—

(1) आरंभ में डाकघर को अपनी वित्त व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए, लेकिन प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे पांच प्रतिशत का लाभ दिखाना चाहिए ताकि उसे आगे के लिए भी बरकरार रखा जा सके ।

(2) दो डाकघरों के बीच 20 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में न्यूनतम दूरी अब 1.5 कि0 मी0 तक बढ़ाई गई है और अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि०मी० तक बढ़ाई गई है ।

(3) शहरी क्षेत्रों में भविष्य में कोई अतिरिक्त विभागीय डाकघर नहीं खोला जाएगा ।

भारतीय हज यात्री

1774. **डा. अख्तर अहमद खान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष भारत से कितने व्यक्ति हज यात्रा करने जाते हैं ; इनमें से कितने भारत सरकार व हज कमेटी द्वारा निकाली जाने वाली लाटरी से भेजे जाते हैं तथा कितने प्राइवेट एजेन्सियों के माध्यम से भेजे जाते है ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि प्राइवेट एजेंसियां प्रत्येक वर्ष हजारों आदमियों को देश से हज यात्रा के लिए भेजती हैं तथा इनसे करोड़ों रुपया कमाती हैं ; यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी एजेंसिय है और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हज यात्रा अथवा सउदी अरब मक्का, मदीना जाने के लिए गत तीन माह अप्रैल, मई और जून में कितने वीजा जारी किये गये तथा इनमें से कितनों को हज पर जाने के लिए भारत सरकार ने अनुमति दे दी थी तथा जितने वीजा प्राइवेट एजेंसियों के मार्फत प्राप्त किए गए ; क्या सरकार इस प्रकार की एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, जो हज पर भेजने के नाम पर जाने वाले व्यक्तियों से काफी पैसा ऐंठते हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) भारत से लगभग 40,000 हज यात्री प्रति वर्ष हज के लिए जाते हैं जिनमें से लगभग 25,000 हज यात्री केन्द्रीय हज समिति के माध्यम से जाते हैं और शेष निजी एजेंसियों के माध्यम से अथवा अपनी निजी व्यवस्था करके जाते हैं ।

(ख) जी हां, सरकार को यह जानकारी है कि ऐसी कई निजी एजेंसियां हैं जो प्रतिवर्ष बहुत से हज यात्रियों को भेजती हैं । लेकिन ऐसी एजेंसियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि हज यात्रियों को